राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कैलाश बनाम रामदेव 25/2026 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज़ज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई । अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित । अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र मृतक व्यक्तियो के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने के आधार पर ही अपील मेंटेनेबल नही होने के कारण ख़ारिज किये जाने पर सुनी गयी । अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र मृतक व्यक्तियो के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने के आधार पर ही अपील मेंटेनेबल नही होने के कारण ख़ारिज किये जाने में अंकित तथ्यों का परिक्षण अपील के गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त ही किया जाना उचित समझा जाता है । अपील के इस इस स्तर पर प्रार्थना पत्र मृतक व्यक्तियो के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने के आधार पर ही अपील मेंटेनेबल नही होने के कारण ख़ारिज किये जाने के माध्यम से कोई अग्रिम आदेश दिया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक प्रतीत नही होता है । अत: तदनुसार प्रार्थना पत्र मृतक व्यक्तियो के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने के आधार पर ही अपील मेंटेनेबल नही होने के कारण ख़ारिज किये जाने को निस्तारित किया जाता है । तत्पश्चात अधिवक्ता अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गयी । पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 02/04/2026 को पेश हो । राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
2/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 3/2/2 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश किया, जिस पर वादीगण/अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित सम्पूर्ण तथ्यों को इन्कार करते हुये प्रार्थना पत्र ख़ारिज किये जाने का निवेदन किया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पर समायत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29/12/2025 पारित करते हुये प्रतिवादी संख्या 3/2/2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादीगण का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है । जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी । अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कैलाश बनाम रामदेव हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/5/2026	पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुये प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 स्वीकार कर वादी/अपीलार्थी का वाद बार्ड बाई लॉ धारित पर ख़ारिज किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रकट नही होती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में किया गया विवेचन विधिसम्मत प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29/12/2025 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	